निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 192/2023

तारीख दायरा 15.06.2018

उनवान

रामभरोस पुत्र रघुनाथ जाति नाई निवासी ग्राम खजूरी ओदपुर तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. माणकचन्द पुत्र श्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खजूरी ओदपुर।
2. महावीर पुत्र माणकचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम खजूरी ओदपुर तहसील सांगोद।
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साँगोद तहसील सांगोद।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 25/4/25

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार (प्रतिवादी सं.3)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के तन्हा खाते एवं कब्जे काश्त की खसरा नंबर 138 रकबा 1.21 हेक्टर, खसरा नंबर 139 रकया 0.72 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 1.93 हैक्टर आराजी माल ग्राम खजूरी ओदपुर तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादी शान्तिपूर्ण काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त आराजी के चारों तरफ फसल सुरक्षा हेतु तारफैसिंग के पत्थर के पिल्लर गडे हुये है। प्रतिवावी सं. 1 वादी की आराजी का पडौसी

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार है जिसे वाद पत्र में वर्णित वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में मदाखलत–मजामहत, क्षति, नुकसान कारित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 आये दिन वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी में जबरन मेड को दबाकर, ट्रेक्टर इत्यादि निकालकर फसल का नुकसान करने को आमादा रहता है।

दिनांक 14.06.2018 को प्रतिवादी कं. 1, 2 वादग्रस्त आराजी पर आ गये व वादी के खेत के चारों तरफ हो रही तारफैंसिंग के पत्थर के पिल्लरों को तोडने, वादग्रस्त आराजी में मदाखलत–मजामहत, क्षति कारित करने की धमकी दी जिन्हे वादी ने काफी समझाया किन्तु नहीं माने व लडाई झगडा करने पर उतारू हुये, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना सांगोद में भी शिकायत की किन्तु इसके बावजूद प्रतिवादी कं. 1, 2 के होंसले बुलन्द है जो जबरन वादी की आराजी में मदाखलत–मजामहत करने को आमादा है जिसमें यदि प्रतिवादी सं. 1, 2 सफल हो जाते हैं तो वादी के खेत की फसल की सुरक्षा नहीं हो सकेगी व फसल नष्ट हो जायेगी तथा वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जाये कि :–

माल ग्राम खजूरी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 138 रकबा 1.21 हेक्टर, खसरा नंबर 139 रकया 0.72 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 1.93 हैक्टर आराजी में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में प्रतिवादी कं. 1 किसी प्रकार से मदाखलत–मजामहत, क्षति, नुकसान, बाधा इत्यादि कारित नहीं करें। वादग्रस्त आराजी की फसल सुरक्षा हेतु स्थित तारफैंसिंग के पिल्लरों को किसी प्रकार की तोडफोड, क्षति कारित करके नुकसान नहीं पहुंचायें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें तथा वादी को वादग्रस्त आराजी शान्तिपूर्ण काश्त करने देवें।

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

इसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। वादी की ओर से स्वयं बतौर साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 पेश किया गया। इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

दौराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यों को दौहराया गया वाद पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी संवत 2070 वादी ख.न. 138 रकबा 1.21 हेक्टर, खसरा नंबर 139 रकया 0.72 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 1.93 हैक्टर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए तथा वाद में किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की गई है। वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे वह प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी में मदाखलत मजामहत एवं अपरिमित क्षति की संभावना को सिद्ध कर सके। 2021(3) डीएनजे राज. पेज सं. 847 अनुसार प्लेटिफ को उसके स्वयं के कदमों पर खडा होकर अपना केस साबित करना पडेगा। वह प्रतिवादीगण की वीकनेस का फायदा नहीं उठा सकता।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार वादी अधिवक्ता की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा। वाद वादी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

25/2/25

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner